राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 15100/9928900900)
E-mail: rslsajp@gmail.com , rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः–रालसा/स्टोर/एफ 9/न्यू आईट्म्स/2020–21/ 44 दिनांकः– 28/12/2020

ई–निविदा सूचना संख्या– 04

विभाग द्वारा निम्न विवरण अनुसार कार्यालय उपयोग हेतु समस्त अधिकृत विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं से सामान क्रय करने हेतु ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैः–

क्र. स.	कार्य का विवरण	क्रय संभावित मात्रा	अनुमानित लागत रुपयों में	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अवधि	तकनीकी निविदा खोलने की अन्तिम तिथि व समय
1.	कम्प्यूटर सैट	216 नग	86,40,000/-	1,72,800/-	दिनांक 29.12.2020 को मध्यान्ह 3.00 बजे से 18.01.2021 को सायं 4.00 बजे तक	दिनांक 19.01.2021 को मध्यान्ह 01.00. बजे
2.	प्रिंटर	194 नग	19,40,000/-	38,800/-		
	योग	410 नग	**01,05,80,000/-**	**02,11,600/-**		

निविदा प्रपत्र के साथ, निविदा प्रपत्र शुल्क 500/– एवं अमानत राशि बैंकर चैक/ड्राफ्ट जो सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पक्ष में देय हो तथा RISL के पक्ष में देय Processing शुल्क राशि 1000/–स्वीकार किया जायेगा। किसी भी ई–निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। निर्धारित समय पश्चात् कोई भी ई–निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी, निविदा प्रपत्र, शर्तें तथा अन्य आवश्यक विवरण राज्य लोक उपापन पोर्टल वेबसाईट **www.sppp.raj.nic.in**, **http://eproc.rajasthan.gov.in** एवं प्राधिकरण की वेबसाईट **www.rlsa.gov.in** पर देखी जा सकती है।

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 15100/9928900900)
E-mail: rslsajp@gmail.com , rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः–रालसा/स्टोर/एफ 9/न्यू आईट्म्स/2020–21/ दिनांकः–

E-BID FOR PROCUREMENT OF COMPUTERS SET AND PRINTER

Cost of the Bid Form	**500/-**
RISL Processing Fees	**1000/-**
Duration of the Bid	**1 year**
Estimated cost of Bid	**105.80 Lacs**
Bid Security Money	**Rs. 2,11,600/-** **(2% of Estimated Cost)**
Start Date of Bids Submission	**29.12.2020 at 03.00 PM**
Pre-bid Meeting	**05.01.2021 at 01.00 PM**
Last date of Submission of online bid	**18.01.2021 at 04.00 PM**
Last date of Submission of bid security and document	**18.01.2021 at 04.00 PM**
Date of opening of Technical Bid	**19.01.2021 at 01.00 PM**

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 15100/9928900900)

E-mail: rslsajp@gmail.com , rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.gov.in

तकनीकी बोली प्रपत्र

(डेस्कटॉप कॅम्प्यूटर सेट एवं प्रिंटर्स के लिए)

- बोली प्रपत्र डाउनलोड प्रारम्भ दिनांक – 29.12.2020 समय – मध्यान् 03:00 बजे से
- बोली प्रपत्र अपलोड अन्तिम दिनांक – 18.01.2021 समय – सायं 4:00 बजे तक
- बोली प्रपत्र खोलने की दिनांक – 19.01.2021 समय – मध्यान् 1:00 बजे

क्र. सं.	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरी जाने वाली सूचना
1.	बोलीदाता फर्म का पूरा नाम पता फोन. न. ई–मेल.आई.डी	....
2.	अधिकृत व्यक्ति का नाम पद मोबाईल नं	....
3.	बोली सम्बोधित है	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर।
4.	सन्दर्भ	कम्पयूटर सेट्स एवं प्रिंटर्स के लिए जारी ई बोली सूचना क्रमांकः– जयपुर, दिनांक .....
5.	बोली शुल्क राशि डी.डी. /बैकर्स चैक नम्बर व दिनांक	.... **स्केन कर अपलोड कर दिया गया है।**
6.	प्रोसेसिंग फीस राशि डी.डी./बैकर्स चैक नम्बर व दिनांक **(M D RISL के नाम)**	.... **स्केन कर अपलोड कर दिया गया है।**

1. मै/हम.....
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणराजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली संख्या क्रमांकः–..... जयपुर, दिनांक ..... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट मे दी गई उक्त बोली सूचना के अतिरिक्त बोली प्रपत्र मे अंकित सभी नियम व शर्तो को स्वीकार करने से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे हमने हस्ताक्षर कर दिये है। (बोलीदाता द्वारा ई–बोली तकनीकी बोली प्रपत्र, नियम, शर्ते एवं सूचना बोली एवं बोली की सामान्य शर्ते एवं अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।)

2. आपूर्ति किये जाने वाले उपकरणों का विवरण बोली प्रपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक– एक (1) में है, उनकी मात्रा को भलीभांति देख लिया है, कुल सामग्री आपूर्ति को ध्यान मे लेने के बाद वित्तीय दरें ऑनलाईन अंकित की गई है। दर्शाई गई उपकरणों की मात्रा में कमी एवं वृद्धि संभव है। न्यूनतम क्रय की मात्रा की गारंटी नहीं है। दर्शाई गई मात्रा के विरूद्ध आवश्यकतानुसार आपूर्ति आदेश दिए जायेंगे।

3. सफल निविदादाता द्वारा सामग्री की सप्लाई विभाग में एवं विभाग के अधीनस्थ जिला मुख्यालयों में करके कम्प्यूटर सैट एवं प्रिंटर को नियत स्थान पर इंस्टॉल करना होगा।

4. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से निर्धारित अवधि 20 दिवस की अवधि के भीतर बोली नियम, शर्तों एवं आदेशों के अनुसार आपूर्ति कर दी जावेगी।

5. उद्धृत की गयी दरें वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से एक वर्ष के लिये विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर RTPP नियम 29–2 (ख) एवं (झ) के अनुसार बढाया जा सकेगा।

6. बोली शर्तो पर हस्ताक्षर किये जाकर, अन्य आवश्यक सभी दस्तावेजों की मूल/प्रमाणित प्रति स्केन कर अपलोड कर दिए गए है।

7. तकनीकी बोली में निम्न विवरणानुसार प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/सहमति पत्र/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक की प्रति अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व–प्रमाणित कर स्केन कर अपलोड करनी होगी। अपलोडिंग के दौरान कोई तकनीकी समस्या होने के फलस्वरूप यदि कोई दस्तावेज अपलोड होने से रह जाता है, तो इसके लिए **रालसा** उत्तरदायी नहीं होगा एवं फर्म को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकेगाः–

क्र. स.	विवरण	पृष्ठसंख्या (.....से.....)
1	कम्पनी/फर्म/संस्था/सोसायटी के मेमोरेन्डम/संविधान व रजिस्ट्रेशन की प्रति।	
2	निविदित उपकरणों का निर्माता/वितरक/अधिकृत विक्रेता होने का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति।	
3	रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर किसी भी राज्य/केन्द्र में कालीसूची में (Blacklisted) न किये जाने के संबंध में शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित।	
4	नॉन कन्विक्शन (NON– CONVICTION) अधिघोषणा।	
5	बोली फार्म शुल्क व प्रोसेसिंग फीस के डी.डी./बैंकर्स चैक की प्रति। मूल डी.डी व बैकर्स चैक, बिन्दु संख्या 2, 4, 5 11 के अंतर्गत वांछित घोषणा तथा मूल शपथ पत्र अंतिम दिनांक 18.01.2021 समय – सायं 4:00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त होना आवश्यक है।	
6	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (RTTP) अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के हस्ताक्षरित A,B,C,D एनेक्सर।	
7	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति व वाणिज्यक कर विभाग द्वारा जारी वैट/कर चुकता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2020 तक (Registration and Tax Clearance certificate) जिसमें दिनांक 31.03.2020 को कोई कर बकाया न होने का उल्लेख हो।	
8	बोली के लिये प्रोप्राइटर के अलावा यदि अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर रखा, हो तो पावर ऑफ अटार्नी, जो कि बोली जारी होने की तिथि के पश्चात् हस्ताक्षरित किया गया हो। मूल प्रति अंतिम दिनांक 18.01.2021 समय– सायं 4:00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त होना आवश्यक है।	
9	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के सेक्शन 7 (2) के अन्तर्गत शपथ–पत्र	
10	मैं/हम घोषणा करते है कि मैने/हमने जिन आईटमों हेतु बोली दी है, उनके संबंध में उपरोक्तानुसार संलग्न किए गये सभी घोषणा पत्र /प्रमाण पत्र/अन्य सूचना सत्य एवं पूर्णतया सही है। इनमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो बिना किसी न्यायिक कार्यवाही एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी बोली जो स्वीकृत की गई है, रदद् कर दी जावे एवं हमारे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए रालसा स्वतंत्र है। उक्त शपथ पत्र 500/– रू के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित करवाकर स्केन कर अपलोड करना होगा।	
11	बोली दाता केन्द्र/राज्य सरकार का उपक्रम होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की प्रति।	

नोट:– उक्त तालिका के तहत वर्णित समस्त दस्तावेज मूल रूप से बोली की अंतिम दिनांक 18.01.2021 समय सायं 04.00 बजे तक रालसा कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है। इसके अभाव में तकनीकी बोली नहीं खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील
नाम व पता मय दूरभाष

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 15100/9928900900)
E-mail: rslsajp@gmail.com , rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः–रालसा/स्टोर/एफ 9/न्यू आईट्म्स/2020–21/ दिनांकः–

ई–बोली से सम्बन्धित नियम, शर्ते एवं सूचना

1. बोली प्रपत्रों को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in/ sppp.rajasthan.gov.in एवं rlsa.gov.in में से किसी भी वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस बोली मे भाग लेने वाले बोलीदाता बोली को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट मे वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करावें।

2. विभागीय बोलियॉ ई–प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 19.01.2021 अपरान्ह 01.00 बजे तक है। बोली भौतिक रूप से स्वीकार नहीं होगी।

3. तकनीकी बोली दिनांक 19.01.2021 को अपरान्ह 1.00 बजे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर में खोली जायेगी।

4. आवेदनकर्त्ता फर्म का औसत वार्षिक टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए। विभाग द्वारा 2 करोड़ रुपये से या इससे अधिक टर्नओवर वाली फर्म को ही प्राथमिकता दी जायेगी तथा सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी। टर्नओवर के लिए चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा जारी सर्टिफिकेट संलग्न करना होगा।

5. बोली के 2 इलेक्ट्रोनिक लिफाफे होगेंः– (1) तकनीकी बोली (2) वित्तीय बोली।

6. तकनीकी बोली में वांछित दस्तावेजों की प्रतियॉ, जो कि अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व–प्रमाणित हो, स्केन कर अपलोड करनी होगी।

7. वित्तीय बोली भरने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर ले कि, अनुलग्नक एक (1) में वर्णित उपकरणों व उसकी मात्रा को वह निर्धारित समय में रालसा द्वारा दिए गऐ आपूर्ति आदेश के अनुसार आपूर्ति के लिए सक्षम है तथा रालसा द्वारा चाहे गऐ स्थान पर आपूर्ति करने हेतु सक्षम है।

8. निविदादाता से अपेक्षित है कि वह ऑनलाईन निविदा जमा करवाने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा का भली–भॉति अध्ययन कर ले। इस संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु निविदा सूचना की अंतिम तिथि से पूर्व तक कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है। तथापि विभाग किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

9. वित्तीय बोली (बोली दर) के द्वितीय इलैक्ट्रोनिक लिफाफे में बोली दरें ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक–2) मे प्रत्येक उपकरण की आपूर्ति मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रति पैंकिग यूनिट दर अंकित की जानी है, अर्थात प्रति इकाई दर देनी है।

10. आपूर्ति किए गए उपकरण यदि निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप नहीं पाए जाते है, तो बोलीदाता स्वयं के खर्चों पर उसे बदलेगा। यदि फिर भी उपकरण निर्धारित मानक के अनुरूप उपलब्ध नहीं कराता है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। बोलीदाता से परिनिर्धारित क्षति आरोपित कर नियमानुसार वसूली की जावेगी।

11. बोली प्रपत्रो हेतु आवेदन/डाउनलोड दिनांक 29.12.2020 3.00 PM बजे से किया जा सकता है। बोली प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर दिनांक 18.01.2021 अपरान्ह 04:00 बजे तक जमा कराये जा सकते है। प्राप्त तकनीकी बोलीयॉ इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर **सदस्य सचिव**, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय मे दिनांक 19.01.2021 को अपरान्ह 1.00 बजे आन लाईन खोली जावेगी। (बोलीदाता चाहे तो उपस्थित रह सकता है।)

क. यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है, तो अगले कार्य दिवस पर उसी समय बोलीयॉ खोली जावेगी।
ख. बोली से सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। सूचना ई–मेल से दी जावेगी।
ग. बोली खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी बोलीयॉ नही खोली जा सकती है, तो अगले कार्य दिवस मे शेष बोलीयॉ खोलने का कार्य जारी रहेगा।
घ. तकनीकी बोलीयों मे सफल बोलीदाताओं का वित्तीय बोली प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फारमेट मे वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर कार्यालय मे खोली जावेगी। जिसके लिए निर्धारित समय एवं दिनांक बाबत् सूचना सफल बोलीदाताओ को ई–मेल से दी जावेगी। ई मेल से दी गई सूचना मान्य होगी तथा दूरभाष पर भी सूचित किया जावेगा।

12. बोली प्रपत्रो मे बोलीदाता के लिए अपेक्षित पात्रता कसौटी (Eligibility Criteria) तथा बोलीदाता की पात्रता, स्पेसिफिकेशन, आपूर्ति की अनुमानित मात्रा का विवरण, नियम एवं शर्ते बोली प्रपत्र में यथास्थान पर वर्णित है।

13. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 19.11.2015 में वर्णित एम.एस.एम.ई. बाबत् प्रावधान यथावत् प्रभावी होगें एवं एम.एस.एम.ई. हेतु आरक्षित सामग्री एम.एस.एम.ई. ईकाईयों से ही क्रय की जायेगी।

14. बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रौसेसिग फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के साथ निम्नांकित मूल दस्तावेज भौतिक रूप से सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुरके कार्यालय मे दिनांक 18.01.2021 सांय 4:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है:–

15. बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रौसेसिग फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के साथ निम्नांकित मूल दस्तावेज भौतिक रूप से सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय मे दिनांक 18.01.2021 सांय 4:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है :–

- तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 6 की तालिका के क्रम संख्या 5 के अनुसार बोली फार्म शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के चैक/डी.डी. आदि सभी दस्तावेज।
- तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 6 की तालिका के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार किसी भी राज्य/केन्द्र में काली सूची में (Black Listed) न किए जाने के संबंध में रूपये 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र जो कि नॉटेरी से प्रमाणित हो।
- तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 6 की तालिका के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार रूपये 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र जो नॉटेरी से प्रमाणित हो।
- तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 6 की तालिका के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार पावर ऑफ अटार्नी।

उक्त दस्तावेजों के निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं होने पर बोली खोली जाना संभव नहीं होगा। डाक/अन्य कारणों से निर्धारित समय तक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होते है, तो उसके लिए रालसा जिम्मेदार नहीं है।

16. वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 30 दिवस तक बोली दरें स्वीकृत/अनुमोदन हेतु मान्य रहेगी। यदि बोलीदाता उस अवधि मे अपनी बोली अथवा शर्तो मे किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बोली वापस लेता है, तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

17. किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पास सुरक्षित है। बोली किसी भी स्तर पर किसी भी कारण से निरस्त की जा सकती है।

18. इस कार्य क्षेत्र में 2 से 3 वर्ष का न्यूनतम कार्य अनुभव होना चाहिए।

19. इस कार्य हेतु पिछले 2 से 3 वर्ष में अन्य संस्थाओं से प्राप्त कार्यादेश की प्रतियां संलग्न करनी होगी। (उक्त कार्यादेश फर्म के टर्नओवर के 80% या 50% के दो कार्यादेश होने चाहिए)

20. बोलीदाता को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर स्वयं को रजिस्टर्ड करवाना होगा। ऑनलाईन बोली मे भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट, इनफोरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट– 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलक्ट्रोनिक बोली में डिजिटल साईन करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओ के पास पूर्व मे वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।

1. बोलीदाताओ को बोली प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट मे उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नही होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जावेगे। कोई भी प्रस्ताव व्यक्तिगत/भौतिक बोली प्रपत्र मे स्वीकार्य नही होगा।

2. ऑन लाईन बोलीयॉ निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार खोली जावेगी।

3. इलेक्ट्रोनिक बोली प्रपत्रो को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजो की स्केन कॉपी बोली प्रपत्रो के साथ संलग्न कर दी गई है। ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज व्यक्तिगत/भौतिक रूप से स्वीकार नही किये जावेंगें । कोई भी बोली इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने मे किसी कारण से विलम्ब हो जाता है, तो इसके लिए रालसा जिम्मेदार नही होगा।

4. बोली प्रपत्रो के अनुसार चाहे गये आवश्यक दस्तावेज एवं सूचियों को चाहे अनुसार पूर्ति कर ऑनलाईन अपलोड करेगे।

5. असुविधा से बचने के लिये कृपया आवेदन हेतु अंतिम दिनांक की प्रतीक्षा नही करें ।

6. समस्त आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही करें ।

7. बोली फार्म शुल्क राशि 500/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सदस्य सचिव**,** राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के नाम से जयपुर मे भुगतान योग्य होना चाहिए।
8. प्रोसेसिंग फीस 1000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक M.D., R.I.S.L. Jaipur के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।
9. बोली प्रतिभूति 2% होगी। एस.एस. आई. इकाई से बोली प्रतिभूति 0.5% , रूग्ण (Sick) उद्योगों की दशा में (एस. एस. आई. से भिन्न) जिनके मामले में औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1% होगी। बोली प्रतिभूति बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
   जयपुर के नाम से भुगतान योग्य होना चाहिए।
10. सफल निविदादाता से कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रदाय आदेश की रकम का 5% होगी। राजस्थान के लघु उद्योगो के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम की 1% होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के नाम से भुगतान योग्य होना चाहिए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

अधिकृत प्रतिनिधि/स्वंय प्रोप्राईटर

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

मय सील

पूरा नाम पता :–

अधिकृत प्रतिनिधि/स्वंय प्रोप्राईटर (जो लागू नही हो काट दे)

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 15100/9928900900)
E-mail: rslsajp@gmail.com , rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः—रालसा/स्टोर/एफ 9/न्यू आईट्म्स/2020—21/ दिनांकः—

उपकरण आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्ते

(1) ई—बोली के माध्यम से बोली प्रस्तुत करनाः—

बोलीयॉ ई—प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से बोली विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाईन प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बोली विज्ञप्ति मे अंकित दिनांक एवं समय पर कार्यालय, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर मे उपस्थित बोलीदाता (यदि कोई उपस्थित हो) के समक्ष ऑनलाईन खोली जावेगी। बोली सम्बन्धी सभी सूचनाऐं ई—मेल से दी जावेगी, जो मान्य होगी।

(2) बोली ई—प्रोक्योरमेन्ट से स्वीकार करनाः—

केवल उन्ही बोलीयों पर विचार किया जावेगा जो बोली सूचना मे दिये गये निर्देशो के अनुसार उचित रूप से ई—प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से भरी होगी तथा निम्नांकित मूल दस्तावेज अंतिम दिनांक 18.01.2021 समय सायं 4:00 बजे से पूर्व अनिवार्य रूप से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर कार्यालय में जमा कराने होगें। इसके अभाव मे तकनीकी बोली नही खोली जावेगीः—

- तकनीकी बोली प्रपत्र के अनुसार बोली फार्म शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के चैक/डी.डी. आदि सभी दस्तावेज।
- तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 6 की तालिका के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार किसी भी राज्य/केन्द्र में काली सूची में (Black Listed) न किए जाने के संबंध में रूपये 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र जो कि नॉटेरी से प्रमाणित हो।
- तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 6 की तालिका के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार रूपये 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र जो नॉटेरी से प्रमाणित हो।
- तकनीकी बोली प्रपत्र के बिन्दु संख्या 6 की तालिका के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार पावर ऑफ अटार्नी।

उक्त दस्तावेजों के निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं होने पर बोली खोली जाना संभव नहीं होगा। डाक/अन्य कारणों से निर्धारित समय तक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होते है, तो उसके लिए रालसा जिम्मेदार नहीं है।

(3) क्रय हेतु सक्षम अधिकारीः—

क्रय समिति द्वारा स्वीकृत दरों पर बोली फार्म में अंकित उपकरणों की मात्रा के लिये क्रय आदेश जारी करने हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी प्राधिकृत होगें।

(4) सामग्री का प्रदाय जिसमें 13 प्रिंटर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,र ाजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर पर करना होगा एवं शेष कम्प्यूटर सेट व प्रिंटर्स की आपूर्ति जिला मुख्यालय कार्यालयों में कर इंस्टॉल भी करना होगा। इस हेतु अन्य शुल्क देय नहीं होगा। अतः बोलीदाता उपकरणों की आपूर्ति की प्रति इकाई दर वित्तीय बोली में उक्त को ध्यान में रखते हुए ऑनलाईन अंकित करें।

नोटः—

(1) दरें सभी प्रकार के खर्चो जैसे भाड़ा, पैकिंग, मजदूरी, चुंगी एवं अन्य कर आदि सहित अंकित की जावें, किन्तु जी.एस.टी. को सम्मिलित नहीं किया जावे, उन्हें अलग से निर्धारित कॉलम में ही अंकित करे।

(2) आदेशित उपकरणों को निर्धारित स्थान पर पहुॅचाने का समस्त खर्चा बोलीदाता को वहन करना होगा।

(3) माल पहुॅचाने व उतरवाने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।

(4) यदि बोलीदाता वित्तीय बोली मे ऑनलाईन दरों के साथ किसी प्रकार का कर (जी.एस.टी.) का निधारित कालम में अंकन नहीं करता है, तो दरें कर सहित मानी जावेगी। ऐसी स्थिति में वित्तीय बिड का मूल्यांकन करते समय निविदादाता को अपनी दरों में से GST को पृथक से बताना होगा। वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन RTTP Rule 2013 के नियम 65 व 66 एवं 67 के अनुसार होगा।

(5) बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरों की वैधताः–
बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरें, वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 30 दिवस तक निर्णय हेतु वैध होगी। इस अवधि में अनुबंध एक साथ अथवा विभाजित कर एक से अधिक बार रालसा की सुविधानुसार संपादित किया जा सकेगा एवं बोलीदाता बोली में दी गई दरों पर अनुबंध करने को बाध्य होगा।

(6) बोली की अवधि :–
अनुमोदित/स्वीकृत दरो की दर संविदा वैधता अवधि दर अनुमोदन की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी।

(7) बोली के साथ बोली विज्ञप्ति के अनुसार तैयार डी.डी./बैकर्स चैक स्केन कर अपलोड करना :–
बोली विज्ञप्ति अनुसार बोली के प्रत्येक भाग की बोली राशि पृथक–पृथक निम्नांकित किसी एक प्रारूप में ई–बोली भरते वक्त स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है। बोली राशि के अभाव में प्राप्त बोली पर कोई विचार नही किया जावेगा। बोली राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक सदस्य सचिव,राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर के नाम से ही स्वीकार्य है। प्रोसेंसिग शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक प्रबंध निदेशक, आर.आई.एस.एल जयपुर के नाम से ही स्वीकार्य है।

नोटः–विभाग मे किसी बोलीदाता की पूर्व में जमा बोली राशि/सुरक्षा अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस बोली की बयाना राशि हेतु समायोजित नही किया जावेगा।

(8) स्वीकृत वस्तुओं के मूल्य का भुगतानः–
स्वीकृत वस्तुओं के मूल्य का भुगतान बोलीदाता से तीन प्रतियो में बिल प्राप्त होने पर बोलीदाता को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैक खाते के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था की जावेगी। यदि बोलीदाता ड्राफ्ट द्वारा भुगतान चाहता है, तो बोलीदाता को बैक ड्राफ्ट द्वारा नियमानुसार भुगतान की व्यवस्था भी की जा सकेगी, परन्तु ड्राफ्ट का व्यय बोलीदाता को वहन करना होगा। भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले बिलों पर बोलीदाता द्वारा ''जो अनुमोदित राशि बिल में अंकित है, इससे कम दर पर उपकरणों की आपूर्ति अनुबन्ध अवधि के दौरान नहीं की गई है'' का अंकन किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) बोलीदाता द्वारा बोली किसी अन्य एजेन्सी को देनाः–
बोलीदाता बोली किसी अन्य ऐजेन्सी को न तो नोमिनेट करेगा और न ही सप्लाई करवाएगा।

(10) समानान्तर बोलीः–
विभाग को समानान्तर बोली तय करने का अधिकार RTPP Rule 2013 के नियम 29 एवं 74 के अनुसार होगा। उपलब्धता एवं आवश्यकताओं के मध्येनजर न्यूनतम दर पर अन्य फर्मो को भी क्रयादेश दिया जा सकेगा। इस हेतु रालसा द्वारा अनुमोदित एल–1 की दर के बारे में अन्य सफल बोलीदाताओं को जरिये ई–मेल सूचित किया जाकर उनके द्वारा एल–1 की दर पर आपूर्ति की सहमति प्राप्त की जावेगी। जिस बोलीदाता द्वारा दरे कम करते हुए एल–1 पर आपूर्ति की सहमति प्रदान की जाती है, उससे अनुलग्नक –2 के अनुसार दरे ली जावेगी।

(11) क्रय की मात्राः–
क्रय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा जो बोली में दर्शाई गई है वह वर्तमान आवश्यकता के अनुसार है, जो केवल अनुमानित है। न्यूनतम क्रय की कोई सीमा नहीं होगी। क्रयादेश विभाग की आवश्यकतानुसार दर संविदा अवधि एक वर्ष के दौरान दिये जायेगे। क्रय समिति की सिफारिश पर बोली में अंकित मात्रा से 50 प्रतिशत तक दर संविदा अवधि के दौरान क्रय आदेश दिया जा सकता है।

(12) गुणवत्ता की सुनिश्चितता :–
क. आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किये जाने वाले उपकरणों की घोषणा करने हेतु बाध्य होगा।
ख. आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किये गये उपकरणों के स्पेयर पार्टस, उनके घोषित जीवनकाल की अवधि में आवश्यकता होने पर उपलब्ध करवाएगा।
ग. आवश्यकता की स्थिति में आपूर्तिकर्ता विभाग के साथ उपकरणों का AMC अनुबंध हस्ताक्षर करेगा।

घ. आपूर्ति किये जाने वाले सभी उपकरण उच्च गुणवत्तापूर्ण यथा ISI/ISO प्रमाणित तथा नवीनतम तकनीक पर आधारित होने चाहिए।

ड. गारन्टी/वारन्टी के प्रावधान नियमानुसार लागू होगें।

(13) सामान सप्लाई की अवधिः– बोलीदाता को क्रयादेश निर्गमन दिनांक से 20 दिन की अवधि में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। 20 वे दिन राजकीय अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस के दोपहर 3.00 बजे तक आपूर्ति स्वीकार्य हो सकेगी।

यदि निर्धारित समय में बोलीदाता सामग्री सप्लाई करने में असमर्थ रहता है, तो निम्नांकित दर से जितनी अवधि का विलम्ब हुआ है, जॉब के कीमत के आधार पर परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) के रूप में, न कि दण्ड के रूप में राशि वसूल की जावेगी।

(क) माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 भाग की देरी पर 2.5 प्रतिशत
(ख) माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 से अधिक लेकिन 1/2 भाग की अवधि तक देरी पर 5 प्रतिशत
(ग) माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/2 भाग से अधिक लेकिन 3/4 भाग की अवधि तक की देरी पर 7.5 प्रतिशत
(घ) माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 3/4 भाग से अधिक लेकिन कुल अवधि के बराबर की अवधि तक की देरी पर 10 प्रतिशत

सामान्यतः क्रयादेश निर्गम की दिनांक से 20 दिन के पश्चात माल स्वीकार नही किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि प्रदायकर्ता उचित बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समयवृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित मे उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह इसके लिए निवेदन बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त उसी समय करेगा। यदि माल का प्रदाय करने से उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणो से हुई है, तो सुपुदर्गी अवधि मे वृद्धि परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) सहित या रहित भी की जा सकेगी। केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति की राय से उचित कारणों पर सम्पूर्ण जॉब के मूल्य पर अधिकतम 10 प्रतिशत तक परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) वसूल कर सामग्री स्वीकार्य की जा सकेगी।

नोटः– निर्धारित अवधि 20 दिवस में सप्लाई करने में असमर्थ हो तो आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने की तिथि से 3 दिवस के भीतर अवगत करावे, ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

(14) आदेशित आपूर्ति के अभाव मे बोलीदाता की जोखिम एवं लागत पर क्रय करना :–

1. यदि बोलीदाता द्वारा क्रयादेश की आपूर्ति निर्धारित अवधि मे या शर्त संख्या 13 के अध्यधीन बढी हुई अवधि मे आपूर्ति करने मे असफल रहता है तथा सैम्पल क्वालिटी स्टैण्डर्ड व स्पेशिफिकेशन के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो ऐसी असफल आपूर्ति के लिए आदेशित अधिकारी को यह मानने का पर्याप्त कारण होगा कि अपूर्ण आपूर्ति हुई है या बोलीदाता समस्त उपकरण आपूर्ति मे असफल रहा है तो राज्य प्राधिकरण सुरक्षा राशि जब्त करने/10 प्रतिशत परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षतिपूर्ति) अदा करने के आदेश निविदाकर्ता को दे सकेगा।
2. आपात स्थिति में अपवाद स्वरूप रालसा/क्रेता अधिकारी के पास यह विकल्प सुरक्षित है कि वह अपूर्ण आपूर्ति की गई उपकरण को बोलीदाता की जोखिम लागत पर केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति के माध्यम से क्रय कर सकेगे, जो बोलीदाता को मान्य होगी। इस बिन्दु पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार नही होगा।
3. निर्धारित समयावधि में विशेष परिस्थितियों में वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् भी यदि कोई बोलीदाता द्वारा उपकरणों की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो दोषी फर्म को नियमानुसार ब्लैक लिस्टेड/आगामी निविदाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम 3 वर्ष हेतु विवर्जित (Debar) किया जा सकेगा। इसमें किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

(15) प्राईस फॉल क्लोजः–

दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होंगी। कीमत गिरने का खण्ड, दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा किया विधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान राज्य में किसी अन्य को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मो या सेवाऐं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय–वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जावेगी। जिसके लिये पन्द्रह दिन का समय दिया जायेगा। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

यदि बोली अवधि में बोलीदाता अनुमोदित दरों को कम करता है अथवा उसी प्रकार के माल को कम दर पर अन्य किसी को बेचता है, तो उसे सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर को इस प्रकार की दरों में कमी एवं कम दरों पर बेचे गये माल की सूचना देनी होगी तथा जिस दिनांक से दरों में कमी की गई है, उसी दिनांक से सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर को दिये गये सामान की कीमत भी कम दर से लगानी होगी। अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य किसी को माल नहीं बेचने का प्रमाण–पत्र बोलीदाताओं को बिल में अंकित करना होगा।

बोली अवधि में या उसके बाद भी यह तथ्य प्रकाश में आने पर बोलीदाता द्वारा प्राईस फॉल क्लोज शर्तो की पालना नही की गई है, तो फर्म बोलीदाता द्वारा रालसा से प्राप्त अधिक राशि सूचित करने के बाद जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा। प्राप्त अधिक राशि जमा नही कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(16) सुरक्षा राशि जमा कराना तथा अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करनाः–

भण्डार क्रय समिति द्वारा स्वीकृत वस्तुओं की सूचना मिलने पर बोलीदाता को पत्र निर्गमित होने के 15 दिन के अन्दर नियमानुसार अपेक्षित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एस. आर. 17 में अनुबन्ध करना होगा। निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति आदेशित मूल्य के 5 प्रतिशत निम्न में वर्णित किसी भी एक प्रारूप में सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर को जमा करानी होगी :–

1. डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर के नाम हो।

2. एन.एस.सी. (फर्म के नाम से क्रय की गई हो) जो सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर के नाम प्लेज्ड हो।

नोटः–

1. अनुबन्ध सम्पादित नहीं करने की स्थिति में कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा।
2. पूर्व वर्षो की जमा सुरक्षा/बोली राशि अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस हेतु नही किया जावेगा।
3. वर्तमान बोली की बोली राशि का समायोजन कार्य सम्पादन प्रतिभूति मे बोलीदाता के पक्ष में अनुमोदित समस्त आईटमो का अनुबंध उनके द्वारा कर दिये जाने पर तथा बोली की सभी आईटमो का निर्णय हो जाने पर किया जा सकेगा।

4. यदि बोलीदाता केन्द्र/राज्य सरकार का राजकीय उपक्रम/संस्था है, तो उसे बोली प्रतिभूति राशि व कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट है, परन्तु उनको राजकीय उपक्रम होने के सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा एवं Bid Security से मुक्ति हेतु घोषणा पत्र देना होगा।

(17) अस्वीकृत वस्तुएँः–

बोलीदाता द्वारा सप्लाई की गई वस्तुएँ अस्वीकृत होने पर, अस्वीकृति की सूचना निर्गमित होने की दिनांक से 30 दिन के अन्दर अस्वीकृत वस्तु को बोली दाता को स्वयं अपने खर्चे से उठा लेना होगा। निर्धारित अवधि के बाद अस्वीकृत माल को न उठाने पर उन वस्तुओ के मूल्य का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह किराया बोलीदाताओ से वसूल किया जावेगा, जो अस्वीकृत वस्तुओ के मूल्य से अधिक नही होगा। वस्तु के खराब होने, टूटने फूटने आदि की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।बोलीदाता द्वारा अस्वीकृत माल की सूचना निर्गमन दिनांक से 6 माह की अवधि में माल नही उठाने पर अस्वीकृत माल नीलामी/नष्ट जैसी परिस्थितियां हो, कर दिया जावेगा एवं उससे प्राप्त हुई राशि राज्य कोष में जमा करा दी जावेगी।

(18) सुरक्षा राशि जमा न कराने एवं अनुबन्ध पत्र भरकर न देने पर बयाना राशि जब्त करनाः–

यदि कोई सफल बोलीदाता बिन्दु संख्या 16 में दर्शाई गई अवधि में अथवा वृद्वि की गई अवधि में निर्धारित सुरक्षा राशि जमा नही कराता है, एवं समस्त अनुमोदित वस्तु की आपूर्ति हेतु अनुबंध पत्र भरकर नही देता है तो बोलीदाता की जमा बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी। इस हेतु किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना बोली दाता को नही दी जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा।

नोट :–यदि बोलीदाता केन्द्र/राज्य सरकार का राजकीय उपक्रम/संस्था है, तो उसे बोली राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट है।

(19) बोली राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बोलीदाता को लौटानाः–

1. जिस बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी गई है अथवा जिसके पक्ष में किसी भी आईटम की दर स्वीकृत नहीं की गई है, तो ऐसे बोलीदाता की बोली राशि पूर्ण निर्णय अथवा बोली खोलने की तिथि के पश्चात लौटाई जा सकेगी।

2. यदि किसी बोलीदाता के विरूद्ध किसी प्रकार की राशि बकाया नही हो तो उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि आदेशित आपूर्ति को सफलतापूर्वक पूरा करने की दिनांक से 01 वर्ष बाद लौटाई जा सकेगी। बोलीदाता के विरूद्ध कोई राशि बकाया निकली तो बोलीदाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मे से ऐसी वसूली करते हुये शेष रही सुरक्षा राशि लौटा दी जावेगी।

3. समस्त स्वीकृत आईटमों का बोलीदाता द्वारा बोली शर्त सं0 18 के अनुसार निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र भरने एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने पर ऐसे बोलीदाता की बोली राशि लौटा दी जावेगी यदि बोलीदाता के विरूद्ध कोई बकाया राशि नहीं निकलती है तो।

नोट :–यदि बोलीदाता केन्द्र/राज्य सरकार का राजकीय उपक्रम/संस्था है, तो उसे बोली राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट है।

(20) राज्याधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना :–

बोली स्वीकृति हेतु अथवा बोली संबंधी किसी कार्य हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार विभाग के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना या उनके पास सिफारिश पहुॅचाना, गम्भीर अपराध समझा जावेगा तथा ऐसे बोलीदाता की बोली स्वीकार नहीं की जावेगी और यदि स्वीकार हो जाती है, तो किसी भी समय रद्द की जा सकती है।

(21) आयात लाइसेंसः–

यदि किसी वस्तु के लिये आयात लाइसेस/अनुज्ञापत्र की आवश्यकता है, तो उसकी व्यवस्था करने की उत्तरदायित्व स्वय बोलीदाता का होगा।

(22) सुरक्षित अधिकारः–

सदस्य सचिव एवं अध्यक्ष, क्रय्र समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताये किसी भी वस्तु की दरें, सबसे कम दर स्वीकार न करके, ऊँची दरे स्वीकृत कर ले, अथवा कोई भी दर स्वीकार न करें।

(23) कानूनी विवाद क्षेत्रः–

समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों मे ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नही की जाएगी।

(24) बोली दरें अंकित करनाः–

वित्तीय बोली में दरें ऑन लाईन प्रपत्र में भरी जावेगी। दरों मे जी.एस.टी. की राशि को पृथक से दिखाना चाहिए।

(25) क्रय अधिमान :–

इस हेतु RTPP Rule 2013 व अधिनियम 2012 के अन्तर्गत नियम व प्रावधान प्रभावी होंगे।

(26) बोली को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से प्रेषित की जा सकेगी।

(27) अन्तिम अर्थ एवं निर्णय का अधिकारः–

1. बोली के नियम व शर्तो तथा बोली प्रपत्रो में दिये गये विवरण आदि मे सदस्य सचिव द्वारा दिया गया अर्थ एवं निर्णय अन्तिम समझा जावेगा एवं उसे बोलीदाता मानने को बाध्य होगा।

2. सदस्य सचिव को किसी भी बोलीदाता की बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण व निर्बाध अधिकार होगा।

(28) निजी शर्ते लगाकर बोली प्रस्तुत करनाः–

बोली शर्तो के विपरीत बोलीदाता की कोई निजी शर्त मान्य नही होगी।

(29) निरीक्षण अधिकारीः–

तकनीकी बोली खुलने के बाद क्रय समिति यदि आवश्यक समझेगी तो सभी उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा तकनीकी बोली प्रपत्र में दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए निरीक्षण करवा सकेगी तथा निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फर्म को तकनीकी रूप से योग्य/अयोग्य किया जा सकेगा।

(30) बोली शर्तो मे शिथिलता करने का अधिकारः–

बोली शर्तो मे शिथिलता करने हेतु केवल सदस्य सचिव में शक्तियां निहित है।

(31) तकनीकी बोली, बोली का भाग होगा। तकनीकी बोली में वांछित दस्तावेज उसी क्रम मे संलग्न करे, जिस क्रम मे बोली मे अंकित है। संलग्नक पर वही क्रम संख्या भी अंकित करें।

(32) ई–बोली से सम्बन्धित नियम शर्ते एवं सूचना बोली का भाग है।

(33) राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurment Rules 2013) के प्रावधानो के अन्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 04.02.2013 के अनुसार Annexures A, B, C, D भी बोली एवं अनुबंध का भाग है, जो कि संलग्न है

(34) उपरोक्त शर्तो के अलावा अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के अनुसार होगी।

(35) यदि बोलीदाता द्वारा गलत, कूटरचित अथवा तथ्य छिपाकर बोली हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हो तो, बोलीदाता की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा तथा फर्म के विरूद्व नियमानुसार आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

(36) बोली की शर्तो में किसी भी प्रकार का विरोधाभास/विवाद होने पर सदस्य सचिव का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

(37) अपील :– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय–III एवं नियम–2013 के अध्याय VII के प्रावधान के अनुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर हेतु अपील अधिकारी निम्नानुसार हैः–

क्र. सं	अपील अधिकारी
1	सदस्य सचिव

(1) बिन्दु (9) के अध्यधीन रहते हुए यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कारवाई या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या यथास्थिति लोप की तारीख से दस दिनकी अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा :–

- परन्तु बोली लगाने वाले की सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसने उपापन कार्यवाही में भाग लिया है।
- परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहॉ उपापन संस्था वित्तीय बोली खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्याकंन करती है, वहॉ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) बिन्दु (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी, पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया गया है या नहीं, और तदानुसार आदेश पारित करेगा, जो बिन्दु (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्य होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष बिन्दु (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि बिन्दु (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी बिन्दु (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था बिन्दु (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, बिन्दु (2) के अधीन पारित आदेश की प्रति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर बोली दस्तावेज में वर्णित द्वितीय अपील अधिकारी को अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) बिन्दु (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त बिन्दु के अधीन द्वितीय अपील अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदानुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) द्वितीय अपील अधिकारी जिसके समक्ष अपील बिन्दु (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, यथा सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे

निपटाने के लिए प्रयास करेगा। परन्तु यदि द्वितीय अपील अधिकारी जिसके समक्ष बिन्दु (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अपील अधिकारी जिसके समक्ष बिन्दु (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जायेगा।

(8) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के परिवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन और संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस पैरा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जायेगी।

(9) कतिपय मामलों में अपील नहीं होगी :– उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों में से संबंधित किसी विनिश्चय के विरूद्व कोई अपील नहीं होगी, अर्थात् :–
(क) उपापन की आवश्यकता का अवधारण।
(ख) बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध।
(ग) यह विनिश्चय कि बातचीत की जाये या नहीं।
(घ) उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण।
(ड़) गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।

(10) अपील का प्रारूप –
(क) बिन्दु (1) या (4) के अधीन यदि कोई अपील संलग्न प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।
(ख) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्व अपील की गई है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
(ग) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकरण डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
(11) अपील फाइल करने के लिए फीस –
(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रूपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रूपये होगी जो वापसी योग्य नहीं होगी।
(2) फीस का संदाय किसी भी अधिसूचित बैंक के मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैकके रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

(12) अपील के निपटारे की प्रक्रिया–

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारीः–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा, और
(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
(3) पक्षकारो की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात् संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
(4) उप बिन्दु (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

(38) निर्मित उपकरणों की आपूर्ति बोलीदाता द्वारा की जावेगी किसी एजेन्सी के माध्यम से आपूर्ति स्वीकार नहीं होगी।

(39) उपकरणों की अनुमानित मात्रा व अन्य विवरण अनुलग्नक 1 में वर्णित है व मात्रा अनुमानित है इसमें कमी/बेशी का सम्पूर्ण अधिकार सदस्य सचिव का होगा। वित्तीय बिड में दी गई दर क्रयादेश की मात्रा व आपूर्ति स्थान के अनुसार परिवर्तित नहीं होगी।

(40) बोलीदाता द्वारा दी गई व स्वीकार की गई वित्तीय बोली की दरें दर संविदा अवधि एक वर्ष तक विधि मान्य होगी तथा इसमे किसी भी कारण से कोई दर वृद्वि देय नहीं होगी।

(41) सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।

(42) वित्तीय बोलीयों में अंक गणितीय त्रुटियों का सुधार RTPP Rule 2013 के नियम 64 के अनुसार होगा।

(43) भुगतान प्रावधान :–
(1) बोलीदाता को अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
(2) आपूर्तिकर्ता को आदेशित उपकरण निर्धारित एवं अंकित विशिष्टियों के अनुसार ही आपूर्ति करना अपेक्षित है। निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में सप्लायर को अस्वीकृत माल को नये स्टॉक से बदलना होगा।
(3) आपूर्ति किए गए माल की जांच उपरान्त एवं निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार होने पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

(44) माल का भुगतान, इस हेतु गठित कमेटी द्वारा माल स्वीकार किये जाने के पश्चात् किया जावेगा। प्रक्रिया के अन्तर्गत भुगतान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार का क्लेम मान्य नही होगा।

निदेशक,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

रालसा मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों, बोली सूचना व उसकी नियम, शर्तों का अध्ययन कर लिया है व अच्छी तरह समझ लिया है। सभी शर्तों से सहमति बतौर नीचे हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर बोलीदाता
राजकीय उपक्रम/सोसायटी का
नाम मय सील

SERVICES TO BE PROVIDED

SNo	Description	Requirements
1	**Delivery of Items**	• At the destination site, the cartons will be opened only in the presence of concerned Nodal Officer(s) and Vendor's Representative. • Inventories at all their service locations shall be maintained by the Vendor(s) for immediate replacement of H/w items in case of failure.
2	**Installations**	• Upon satisfactory installation of the equipment, Vendor should obtain signed installation certificate from the Nodal Officer, after making the stock entry at their end and specify the same in the installation certificate. The same shall be submitted along with the bills by the Vendor for payment. • **A sticker with label Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur along with the Service Support Call Centre Number of the Vendor should be pasted on each equipment.**
3	**Warranty**	• In case of a System (Hard Disk) failure, Vendor will ensure recovery of data from the Hard Disk and its restoration, while making the system operational, at the site. • During warranty period besides service/maintenance of Hardware, System Software and its Peripherals, all software up-gradation, bugs/ patches and services shall be provided free of cost by the Vendor. • The Vendor should fulfill the following conditions during warranty period: • Supplier will maintain enough spares (not less than 10%) so as to provide satisfactory onsite comprehensive maintenance services during the warranty period. • Vendor would provide the helpdesk support services through telephone/e-mail where users can lodge their complaint. Each user will be assigned a unique trouble ticket number through which he should be able to track the action taken on his complaint through a support portal. • The Vendor should provide support for all supplied items in the RSLSA Office. • Any failure in the equipment's supplied / any accessories thereof should be rectified within maximum period of two working days. • Any system failing at subsystem level at least three times in three months, displaying chronic System design or manufacturing defects or quality control problem will be totally replaced by the Vendor at his cost and risk within 30 days. • Vendor shall visit each site at least once in every six months to carryout preventive maintenance and fine-tune the performance of the system besides regular service calls during warranty period. • On completion of the Warranty period, the Security Deposit without any interest accrued shall be released after satisfying that proper free warranty support has been provided during warranty period of 3 years for all the systems. If considered necessary, suitable amount of penalty shall be recovered from the Vendor out of either already due payments or from their Security Deposit while releasing the Security Deposit. After expiry of warranty, the Rajasthan State Legal Services Authority , Jaipur has option to enter into Annual Maintenance Contract with the supplier for post warranty maintenance of the systems.
Note: The installation schedule mentioned above entails all activities including delivery and installation of all Hardware and related software items.		

सामान्य निर्देश :–

1. उपरोक्त सभी आईटम जिनका संस्थापन (Installiton) किया जाना है, के सन्दर्भ में संस्थापन की लागत को शामिल करते हुये दरें प्रस्तुत की जाये।
2. उपरोक्त सभी आईटमस के संदर्भ में गारन्टी/वारन्टी के प्रावधान संबंधित कम्पनी के नियमानुसार लागू होगें।
3. गारंटी/वारंटी अवधि में आपूर्तिकर्त्ता फर्म को समय पर रख–रखाव संबंधित सुविधा प्रदान करनी हो अन्यथा फर्म के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसके हर्जे–खर्चे हेतु वह फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी।

बोलीदाता द्वारा स्व–घोषणा

मैं/हम, घोषणा करता हूँ/करते है कि, मैंने/हमने जिन उपकरणों के लिए बोली दी है, उनका/उनके, मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता हूँ/अधिकृत विक्रेता/वितरक है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है।

स्थान **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक

ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का घोषणा–पत्र

(रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एवं नोटरी से प्रमाणित)

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मेरी/हमारी संस्था .... को आज दिनांक ..... तक केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/उपक्रमों से ब्लैक लिस्टेड/प्रतिबंधित नहीं किया गया है एवं न ही काली सूची में डाला गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो रालसा द्वारा मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का कोई भी उत्पाद विगत 3 वर्ष के दौरान किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अवमानक घोषित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र

(रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एवं नॉटरी पब्लिक से प्रमाणित)

हम मैसर्स (फर्म का नाम एवं पता..... बोली में कोटेड औषधियों के संबंध में एतद् द्वारा घोषणा करते है कि हमारे उक्त उत्पादों को आज दिनांक तक किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा विगत तीन वर्षो के दौरान नकली/अवमानक घोषित नही किया गया है।

स्थान **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक

Sales Tax/VAT Clearance Certificate

TCC Number:…… Date: ……..

This is Certified that M/s……..(Firm name

with offical address) Registration No. (TIN) …… has no tax liability outstanding and above

has paid current tax up to the month of March, 2017/Firm has submitted its VAT returns up to the month of March, 2017.

Signature of Assessing Authority

Name:

Designation:

Location

Note :- If a firm has submitted VAT Returns of 2016-17 of the concerning authorities, and there is no outstanding shown therein, it will be treated as VAT clearance.

(आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अंतर्गत हस्ताक्षरित एनक्सर ए, बी सी एवं डी)

Annexure A : Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
(b) not misrepresent or omit the misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and process of the procurement process.
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same , directly or indirectly, to any party or its property to influence the procurement process.
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
(g) disclose conflict of interest, if any ; and
(h) disclose any pervious transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited:
   a. have controlling partners/shareholders in common; or
   b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;
   c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
   d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
   e. the Bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as Bidder, in more than one Bid; or
   f. the Bidder or any of its affiliates participated as consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
   g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ……. for procurement of ……. in response to their Notice Inviting Bids No……. Dated …… I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resource and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we/ have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our Directors and Officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the marking of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/we do not have a conflict to interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Signature of Bidder

Name :

Place:

Designation :

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Joint Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Member Secretary**,** Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur.

Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(1) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(2) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(3) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(4) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed From along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(5) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(6) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,
- hear all the parties to appeal present before him; and
peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following bases:

a. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit be shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price shall govern and the unit price shall be corrected;

b. if there in an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

c. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, words or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract. If the Supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing Quantites among more than one bidder at the time of award (in case of procurement of goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital natures, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates if the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत

घोषणा प्रमाण–पत्र

मै/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत घोषणा करता हूँ /करते है कि :–

(क) आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय स्त्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए बोली दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करते है।

(ख) ऐसे करों को संदत्त करने की जो बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता–दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हैं, अपनी बाध्यता की पूर्ति करेगें।

(ग) दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नही होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखेगा, न अपने कारोबार के कियाकलाप निलंबित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होगा।

(घ) अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारंभ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए हैं, या विर्वजन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है।

(ड़) ऐसे हित, जो पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जाये, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगें, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप ये प्रभावित करें।

(च) कोई भी अन्य अर्हताएँ, जो विहित की जायें, पूर्ण करेगें।

स्थान **बोलीदाता के हस्ताक्षर**

दिनांक

शपथ पत्र 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर

(नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करते है कि, मैने/हमने उपकरणों के क्रय हेतु तकनीकी बोली के साथ जो घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र/अन्य सूचना संलग्न किए गये है, वे सत्य एवं पूर्णतया सही है। इनमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो बिना किसी न्यायिक कार्यवाही एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी बोली जो स्वीकृत की गई रदद् कर दी जावे एवं हमारे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए रालसा स्वतंत्र है।

स्थान **हस्ताक्षर बोलीदाता**

दिनांक

एस.आर.प्रारूप 17

करार पत्र (देखिए नियम 68)

1. यह करार पत्र आज दिनांक ..... माह ..... सन्..... को एक पक्ष के ..... (जिसे इसमें आगे 'अनुमोदित सप्लायर' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में जहॉ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासको को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर (जिसे इसमें आगे '**रालसा**' कहा गया है, तथा इस अभिव्यक्ति में, जंहा संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशियों को शामिल हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच समपन्न किया गया।

2. चूंकि अनुमोदित सप्लायर द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को उसके मुख्यालय पर तथा विर्निदिष्ट स्थान पर भी, इसमें संलग्र की अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं को बोली एवं बोली की शर्तो में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम ..... में दी गयी दरों पर सप्लाई करने के लिए मिशन से सहमत हो गया है।

3. एवं चूंकि अनुमोदित सप्लायर ने रूपये की राशि निम्न प्रकार से जमा करायी हैः–

(i) नकद/बैंक ड्राफ्ट/चालान संख्या/बैंकर्स चैक संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा,

(ii) विभागीय प्राधिकारियों के पास विधिवत् रहन रखकर डाकघर बचत बैंक पास बुक के रूप में,

(iii) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों/डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स/किसान विकास पत्रों या किन्हीं अन्य स्क्रिप्ट/इन्स्टूमेंट्स के रूप में, यदि इन्हें संबंधित नियमों के अधीन (प्रमाण पत्र उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किए जाएंगे) उक्त करार के निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता हो तथा उसे विभागीय प्राधिकारियों को औपचारिक रूप में हस्तांतरित कर दिया गया है।

4. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी हैः–

(i) इसमें संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर ..... के मार्फत **रालसा** द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित सप्लायर ..... में तथा बोली एवं बोली की शर्तो में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं की विधिवत् सप्लाई करेगा।

(ii) निविदा सूचना संख्या दिनांक ..... से संलग्न खुली बोली हेतु बोली एवं बोली की शर्तो में तथा इस करार पत्र से जुड़ी शर्तो को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगीं।

(iii) बोलीदाता से प्राप्त पत्र में संख्यायें ..... तथा **रालसा** द्वारा जारी किए गए पत्र के भाग के रूप में होगें।

4. (क) **रालसा** एतद् द्वारा स्वीकार करता है कि, यदि अनुमोदित सप्लायर उक्त वस्तुओं की उपर्युक्त तरीके से विधिवत् सप्लाई करेगा, उक्त शर्तो का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो **रालसा** .... के माध्यम से अनुमोदित सप्लायर को उक्त शर्तो में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगी या भुगतान करवाएगी।

(ख) भुगतान की विधि नीचे वर्णन किए गए अनुसार होगी :–

1. माल का भुगतान जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तथा इस हेतु गठित कमेटी द्वारा माल स्वीकार किये जाने पश्चात् किया जावेगा।

2. प्रक्रिया के अन्तर्गत भुगतान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार का क्लेम मान्य नही होगा।

3. माल की सुपुर्दगी सप्लाई देने हेतु आदेश की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगी।

क्रम संख्या मदों की संख्या सुपुर्दगी अवधि उपकरण बोली दस्तावेज एवं कार्यादेश के अनुसार 30 दिन

6. (1) **(i)** यदि परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो, सप्लाई न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों के आधार पर वसूली की जाएगी :–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए 7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

टिप्पणी :

(i) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।

(ii) स्वीकार की गयी परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

(iii) यदि सप्लयार किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने वो सप्लाई आदेश दिया था, किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा, न कि सप्लाई को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

(2) यदि माल की सप्लाई में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ जो निविदाता के नियत्रंण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्वि परिनिर्धारित क्षति के साथ या उसके बिना कर दी जाएगी।

7. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्न **रालसा** द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा **रालसा** का निर्णय अन्तिम होगा।

इसकी साक्षी में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक ..... माह ..... सन् ..... को अपने हस्ताक्षर किए।

अनुमोदित सप्लायर के हस्ताक्षर

रालसा के लिए एवं उनकी ओर से

पदनाम

दिनांक :

दिनांक :

साक्षी सं. 1

साक्षी सं. 1

साक्षी सं. 2

साक्षी सं. 2

(For MSME Units only)

Form B

Format of Affidavit

(See clause 11)

I……..S/o.....Aged ..... Yrs.

Residing at ..... Proprietor/Partner/Director

of M/s ..... do hereby solemnly affirm and declare that :

(a) My/Our above noted enterprise M/s ..... has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part - II by the District Industries Center ..... The acknowledgement No. is ..... dated ..... and has been issued for manufacture of following items:

Name of Item	Production Capacity (Yearly)
(i)	
(ii)	
(iii)	
(iv)	
(v)	

(b) My/Our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part - II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/Our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Place: **Signature of Proprietor/ Director**

Date

Authorized Signatory with Stamp and date

Specimen Copy of Financial Bid/BOQ

Tender Inviting Authority :-		**Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur**				
Name of work :-		**E-bid for Procurement of Computers and Printers Etc.**				
Reference Number :-						**Date:**
Bidder Name :-						
S.No	**Item Description**	**Packing Unit**	**Approx. Qty.**	**Rate without GST in Rs.**	**Amount of GST in Rs**	**Final Rates with GST in Rs.**
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Computer set (As per Specification- Annexure- E)**	1	216			
2.	**Printers (As per Specification- Annexure- F)**	1	194			

नोटः–वित्तीय बोली सिर्फ ऑन–लाईन प्रस्तुत की जानी है।

Place:
Date

Signature of Proprietor/ Director
Authorized Signatory with
Stamp and date

Annexure-E TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR COMPUTER SYSTEM

Sl. No.	Particulars	Specifications
1.	Brand and System Type	Dell / HP or equivalent (Intel i5 Regular Desktop)
2.	Make, Model / Part No.	(To be given by the bidder - exactly and in specific)
3.	Category	Institution (for work) segment (Not Home segment)
4.	Form Factor	Tower
	Processor & Motherboard	
5.	Processor Family	Intel core 8th generation, Intel core latest generation, 12 MB cate or higher
6.	Base Frequency	3.0 GHz or more
7.	Processor Cache	6 MB or more L3 cache
8.	Motherboard	Intel Original Motherboard or Equivalent performance chipsetmotherboard
9.	TDP (Thermal Design Power)	Not more than 65W
	Memory & Disk Storage	
10.	System Memory (RAM)	8 GB DDR-IV Memory or Higher with 1 unused slot
11.	Expandable Memory(RAM)	Upto 16 GB, at least 2 slots
12.	Hard Disk	Integrated Dual Port SATA III Controller, HDD 1 TB 7200 RPM or more
	Platform / Architecture	
13.	PreloadedOperating System	Windows l0 Professional (or Latest) with OEM recovery partition DVD
14.	OperatingSystem Certification	64-bit window 10 professional
15.	SystemArchitecture	64 Bit
	Display & Graphics	
16.	Screen Size & Resolution	19.5 LED Monitor (HD Resolution) orHigher with TCO 7.0 Certification
17.	Screen Type	HD Wide Screen Backlit LED Anti - Glare Display
18.	Graphic Processor	Intel HD or equivalent integrated HD Graphics as per theProcessor
19.	MonitorMounting Support	Vesa Screws Cover for Wall Mount
	Input	
20.	Web Camera	Optional
21.	Pointer Device	OEM USB Optical Scrolling Mouse, OEM
22.	Keyboard	USB Standard 104 keys keyboard(like TVS Gold)
23.	DVD	8 x DVD Writer (optional)

	Audio	
24.	Microphone	Yes
25.	Speakers	Stereo Sound Speakers (Built-In with CPU Cabinet orMonitor)
	Communication	
26.	Ethernet	Integrated Gigabit Ethernet (IPv6 complaint)
27.	Wi-Fi	Yes
	Ports / Slots	
28.	USB Port	4 x USB 3.0 , 4 X USB 2.0
29.	Other Ports	Mic In, Speaker Out, RJ45, VGA,HDMI,Display Port Out
	Power Supply & Energy Efficiency (Green Compliance)	
30.	Power Supply / Adaptor	Optimum Wattage SMPS to support full use of system with all USB ports utilized
31.	Energy Certification	Energy Star (EPA) ver 5.0 or later / BEE India Star ver 1 or later
32.	Power Management	ACPI complaint
	Other Specifications	
33.	H/W Drivers /Software	Vendor to provide drivers for 64-bit window 10 professional and MS Office 2013 or higher (word, Excel, Power Point).
	Warranty & Service Support	
34.	Warranty	2 to 3 years on site Comprehensive Warranty support with L1 support from bidder and L2 support from OEM
35.	Service Centre	Must have / preferred Company Authorized Service Centre in Capital City / High Court place
Note :-All the above specifications should be read as equivalent or higher (Note:- If any additional feature please mention). (Higher Authority may be reduced specifications if rate is not as per budget .)		

ANNEXURE-F: TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR MONOCHROME LASER PRINTERS

Specifications for Printer			
Sr. No.	**Specification**	**Particular**	
	Print		
1	Printing Method	Monochrome Laser Beam Printing	
2	Print Speed	Simplex:	A4: Up to 25ppm
		Duplex:	A4: Up to 7.7spm (sheets per minute)
3	Print Resolution	600 x 600dpi	
4	Print Quality with Image Refinement Quality	1200 x 1200dpi (equivalent) 2400 (equivalent) x 600dpi	
5	Print Language	UFR II LT	
	Paper Handling		
6	Paper Input (Standard)	250 sheets (based on 80g/m^2)	
7	Multi-Purpose Tray	1 sheet (based on 80g/m^2)	
8	Paper Output	100 sheets (face down) (based on 80g/m^2)	
9	Paper Sizes	Standard:	A4, B5, A5, Legal(*1), Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL
			Custom (Width: 76.2 - 216mm x Length 187 - 356mm)
		Multi-Purpose Tray:	A4, B5, A5, Legal(*1), Letter, Executive, 16K, Envelope COM10, Envelope Monarch, Envelope C5, Envelope DL/ Index card
			Custom (Width: 76.2 - 216mm x Length 127 - 356mm)
10	Paper Type	Plain paper, Heavy Paper, Transparency, Label, Envelope, Index card	
11	Duplex Printing	A4, Letter, Legal(*1)(60 - 105g/m^2)	
	Connectivity and Software		
12	USB Interface	USB 2.0 High Speed	
13	Network Interface	10 Base T/100 Base Tx	
14	Network Protocol	Print:	LPD, RAW, WSD-Print
		Management:	SNMPv1, SNMPv3, SLP
			TCP/IP Application Services: WINS (IPv4), DHCP, BOOTP, RARP, DHCPv6 (IPv6), Auto IP, mDNS, DNS, DDNS
15	Network Security	IP/Mac address filtering, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x	

16	Compatible Operating Systems(*2)	Win 8.1(32 / 64bit), Win 8(32 / 64bit), Windows 7(32 / 64-bit), Windows Vista(32 / 64-bit), Windows XP(32 / 64-bit), Windows Server 2012 (32 / 64bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2008(32 / 64-bit), Windows Server 2008 R2(64-bit), Windows Server 2003 (32 / 64bit),	
		Mac OS 10.6.x~10.9 (*3), Linux (*3), Citrix (FR2 and later)	
	General Specification		
17	Operation Panel	4 LED indicators, 3 operation keys	
18	Device Memory	64MB	
19	Dimensions (W x D x H)	379 x 293 x 243mm	
20	Maximum Power Consumption	1100W or less	
21	Average Power Consumption	During Operation:	Approx. 420W
		During Standby:	Approx. 1.4W
		During Sleep:	Approx. 0.9 W
22	Power Requirement	220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz)	
23	Toner Cartridge(*6)		2,100 pages
		Cartridge 326:	(Bundled Cartridge: 900 pages)
24	Monthly Duty Cycle(*7)	Up to 8,000 pages	
25	Recommended Monthly Print	500 - 1,500 pages	